रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 11 अप्रैल, 1974

चैत्र 21, 1896 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 993/17-वि-1--25-74

लखनऊ, 11 अप्रैल, 1974

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 10 अप्रैल, 1974 को स्वीकृति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1974

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1974]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1950

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा । संक्षिप्त नाम

2--उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 4 में-- अधिनियम संख्या 19, 1950 की धारा 4 में संशोधन

(1) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :--

"(6) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार दस करोड़ रुपये की और धनराशि राज्य की संहत निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी ।"

(2) पार्श्व शीर्षक में शब्द "दस करोड़ रुपये की एक और धनराशि" तथा शब्द "का निकाला जाना" के बीच में शब्द "तथा दस करोड़ रुपये की एक और धनराशि" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6, 1974 का निरसन तथा अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1974 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य, इस अधिनियम के अधीन की गई बात अथवा किया गया कार्य समझा जायगा, मानो यह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था।

No. 993/XVII-V-1—25-74

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Akasmikta Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 10, 1974:

UTTAR PRADESH CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 1974

(U. P. Act No. 3 of 1974)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An

ACT

U. P. Act XIX of 1950.

further to amend the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950

It is hereby enacted in the Twenty-Fifth Year of the Republic of India as follows:

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1974.

Amendment of section 4 of U.P. Act XIX of 1950.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950—

(i) *after* sub-section (5), the following sub-section shall be *inserted,* namely :—

"(6) The State Government shall, on the commencement of the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1974, withdraw a further sum of ten crores of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place it to the credit of the Fund";

(ii) in the marginal heading, *after* the words "and a further sum of ten crores of rupees" the words "and another sum of ten crores of rupees" shall be *inserted.*

Repeal and saving.

3. (1) The Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 1974, is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 6 of 1974.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act were in force at all material times.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव।